पत्रांक 3/एम–81/2010 सा0प्र0 – 7865

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

दिनांकः 12.08.10

विषयः स्वाधीनता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण वर्षों को वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या के रूप में व्यवहार किये जाने के संबंध में।

महाशय,

सरकारी वाहनों के क्रय करने के पश्चात् अक्सर ही पदाधिकारियों के द्वारा उस पर महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन संख्या(VIP वाहन नंबर) लेने की इच्छा व्यक्त की जाती है। परंतु परिवहन विभाग के पत्रांक 2261 दिनांक 11.06.2003 के आ जाने के पश्चात् सभी महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन संख्या के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क का प्रावधान कर दिया गया है, उदाहरणार्थ– रजिस्ट्रेशन संख्या 0001 के लिए 25000 रु0 अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क, 0002 से 0011 तक के लिए 15000 रु0 आदि। ऐसे में सरकारी वाहनों पर महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन सं0 प्राप्त करना कठिन होता है। इन पर लगने वाले अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन सरकार/विभाग के द्वारा किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी राजस्व के स्रोत भी हैं।

2. सरकार वाहनों, विशेषकर जिला प्रशासन के द्वारा धारित वाहनों में महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन संख्या लगाने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन वाहनों की अलग पहचान होती है।

3. इस परिप्रेक्ष्य में एक विकल्प है कि भारत सरकार के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों को वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या के रूप में व्यवहार किया जाए। इनके प्रयोग से एक अलग पहचान तो बनेगी ही, साथ ही उक्त संख्या से जुड़ी घटनाएं भी समय–समय पर स्वाभाविक कारणों से चर्चा का विषय बनेगी।

4. स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्ष निम्नप्रकार हो सकते हैं, जिनका उपयोग उपरोक्त अनुसार किया जा सकता है:—

i.	1857	सिपाही विद्रोह / स्वाधीनता संग्राम की प्रथम लड़ाई
ii.	1869	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस
iii.	1905	स्वदेशी आंदोलन
iv.	1917	चम्पारण सत्याग्रह
v.	1920	असहयोग आंदोलन
vi.	1930	दांडी मार्च(नमक सत्याग्रह)
vii.	1942	भारत छोड़ो आंदोलन
viii.	1947	स्वाधीनता दिवस
ix.	1950	गणतंत्र दिवस

उपरोक्त "वर्षो" की सूची उदाहरण मात्र हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े अन्य "वर्षो" का उपयोग उनकी महत्ता को देखते हुए किया जा सकेगा।

5. परिवहन विभाग के संदर्भित पत्र की कंडिका—4 के आलोक में कार्रवाई करते हुए उपरोक्त संख्याओं के व्यवहार करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

6. अनुरोध है कि क्रय होने वाले सरकारी वाहनों में उपरोक्त अनुसार रजिस्ट्रेशन संख्या लेने की कार्रवाई की जाए।

7. इस पर परिवहन विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार) 2/8/10

सरकार के प्रधान सचिव